न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अल्मोड़ा
उपस्थित–डा0 ज्ञानेन्द कुमार शर्मा ।

विशेष सत्र विचारण संख्या–32 सन् 2017

(सीएनआर नं0–यूकेएल 010002872017)

उत्तराखण्ड राज्य

प्रति

1. श्री पी0सी0 तिवारी पुत्र श्री नरोत्तम तिवारी,
   निवासी देवकी निवास एडवोकेट, धारानौला,
   जिला अल्मोड़ा।
2. श्रीमती रेखा धस्माना पत्नी श्री मनोज धस्माना,
   निवासी बी0एस0एन0एल0 कालोनी
   मकेड़ी, अल्मोड़ा।
3. बिशन सिंह पुत्र आन सिंह,
4. गोपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह,
5. दीवान सिंह पुत्र राम सिंह,
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह,
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह
   निवासीगण 3 से 7 ग्राम डीडा,
   तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।

........अभियुक्तगण।

एफ0आई0आर0 संख्या–01/2016
अन्तर्गत धारा 147, 323, 447 व 504 भा0दं0सं0 तथा
धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

उपस्थित – राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
श्री जी0सी0 फुलारा व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
श्री एस0सी0नैल्वाल
2–अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एच0बी0 नैनवाल।

निर्णय

वादी ललित कुमार द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र डीडा द्वारसों को इन तथ्यों के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23–1–2016 को समय लगभग 2:30 बजे पी0सी0तिवारी न्यायालय कर्मचारी के साथ 10–12 लोगों को लेकर हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी के अन्दर एक महिला को लेकर घुस गया तथा मॉ बहिन की गालिया देते हुए अपने साथियों से कहने लगा कि मैं न्यायालय से तोड़–फोड़ का आदेश लाया हूॅ। यहॉ से कर्मचारियों को मारपीट कर भगाना

है। तभी श्री पी0सी0तिवारी मौके पर मौजूद ललित कुमार, श्याम कुमार, संदीप कुमार व प्रेमराज के साथ भिड़ गये तथा ललित कुमार को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा। ललित कुमार ने गाली देने से मना किया तो इसने मौके पर पड़ी लकड़ी से मारना पीटना शुरू कर दिया। रेखा धस्माना ने लात घूसो से मारना शुरू कर दिया। हम लोग इन लोगों को मारने के डर से अन्दर भागने लगे तो श्री पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना आपस में टकरा गए व गिर गए। मौके पर इनके साथ वाले लोग अंदर घुस गए तथा कहने लगे कि आज मौका अच्छा है। हमारे पास न्यायालय का आदेश भी हैं। इन लोगों को यही पर जान से मार देते हैं। प्रार्थनापत्र, प्रदर्श क–1, में वर्णित तथ्यों के आधार पर दिनांक 24–1–2016 को 2:16 बजे शाम को प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–14, योजित की गई। यहॉ यह कहना उचित होगा कि इससे पूर्व ही अभियुक्त पी0सी0 तिवारी, श्रीमती रेखा धस्माना व अन्य अभियुक्तगणों को आपराधिक वाद सं0–2/16 राज्य बनाम पी0सी0 तिवारी व अन्य में द0प्र0सं0 की धारा 107/117 के अन्तर्गत निरूद्ध कर लिया था तथा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

2. प्रथम सूचना रिर्पोट लिखे जाने के उपरांत आपराधिक वाद सं0 2/16 में पहले से ही न्यायिक हिरासत में निरूद्ध अभियुक्तगण का बी वारन्ट दिनांक 25–1–2016 को भा0दं0सं0 की धारा 323, 147, 447 व 504 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत भी न्यायिक हिरासम में लिया गया।

3. सर्वप्रथम विवेचना राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र डीडा द्वारसों द्वारा की गई, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत होने के कारण विवेचना तहसीलदार रानीखेत के सुपुर्द की गयी। तहसीलदार रानीखेत द्वारा भी आंशिक विवेचना की गई एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को सी0बी0सी0आई0डी0 को विवेचना हेतु संदर्भित कर दिया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना करने के उपरांत सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 147, 149, 447 व 504 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु बहस की मांग की गई। इस न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश दिनांकित 5–2–2018 पारित कर विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण को समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई एवं उनको व्यक्तिगत रूप से तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरांत विस्तृत आदेश दिनांकित 13–4–2018 के अनुपालन में दिनांक 24–4–2018 को सभी अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 147, 323, 447 व 504 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत आरोपित किया गया। अभियुक्तगण को आरोपों को पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण चाहा।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिखाया गया। वादी ललित कुमार का साक्ष्य पी0डब्लू0 1 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। श्री श्याम कुमार का साक्ष्य खुले न्यायालय में शपथ पर पी0डब्लू0 2

के रूप में लिखा गया। श्याम कुमार को अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी कहा गया है तथा यह भी कहा गया है कि घटना में वह भी घायल हुआ है। श्री संदीप कुमार का साक्ष्य पी0डब्लू0 3 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। श्री संदीप कुमार को भी अभियोजन पक्ष द्वारा मौके का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है तथा घटना में वह भी घायल हुआ, बताया। श्री प्रेम राज जिसको घटना में घायल होने व घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है, का साक्ष्य पी0डब्लू0 4 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। डा0 संदीप कुमार दीक्षित जिसके द्वारा चारों घायल व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया एवं चिकित्सीय आख्याओं को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया, का साक्ष्य पी0डब्लू0 5 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। श्री महेन्द्र सिंह रावत तत्समय रा0उप निरीक्षक डीडा का साक्ष्य पी0डब्लू0 6 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। श्री महेन्द्र सिंह रावत पी0डब्लू0 6 द्वारा इस वाद में आंशिक विवेचना भी की गई। तत्समय तहसीलदार श्री दामोदर पाण्डे का साक्ष्य पी0डब्लू0 7 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखे गये। पी0डब्लू0 7 द्वारा भी आशिंक विवेचना इस वाद में की गई। पुलिस उपाधीक्षक श्री गोविन्द नबियाल का साक्ष्य पी0डब्लू0 8 के रूप में खुले न्यायालय में शपथ पर लिखा गया। पी0डब्लू0 8 द्वारा इसवाद में विवेचना उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध इस वाद में आरोपत्र प्रेषित किया। पी0डब्लू0 8 द्वारा आरोपपत्र व विवेचना के दौरान् बनाये गये संबंधित दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत व सिद्ध किये गये।

1.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श क–1
2.	गवाह पी0डब्लू0 1 ललित कुमार के मेडिकल प्रमाणपत्र पर पर पी0डब्लू0 1 का अंगूठा निशानी	प्रदर्श क–2
3.	मौका नक्शा पर पी0डब्लू0 1 के हस्ताक्षर	प्रदर्श क–3
4.	गवाह पी0डब्लू0 1 ललित कुमार का आधार कार्ड की छायाप्रति	प्रदर्श क–4
5.	गवाह पी0डब्लू0 1 ललित कुमार का जाति प्रमाणपत्र	प्रदर्श क–5

6.	गवाह पी0डब्लू0 2 मेडिकल प्रमाणपत्र पर गवाह पी0डब्लू0 2 का अंगूठा निशानी	प्रदर्श क–6
7.	गवाह पी0डब्लू0 2 क मौका नक्शा पर पी0डब्लू0 2 के हस्ताक्षर	प्रदर्श क–7
8.	गवाह पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार के मेडिकल प्रमाणपत्र	प्रदर्श क–8
9.	गवाह पी0डब्लू0 4 प्रेम राज के मेडिकल प्रमाणपत्र पर पी0डब्लू0 4 का निशानी अंगूठा	प्रदर्श क–9
10.	मेडिकल प्रमाणपत्र ललित कुमार	प्रदर्श क–10
11.	मेडिकल प्रमाणप पत्र श्याम कुमार	प्रदर्श क–11
12.	मेडिकल प्रमाणप पत्र संदीप कुमार	प्रदर्श क–12
13.	मेडिकल प्रमाणप पत्र प्रेम राज	प्रदर्श क–13
14	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–14
15.	नक्शा घटनास्थल	प्रदर्श क–15
16.	विवेचना स्थानान्तरण पत्र	प्रदर्श क–16
17.	विवेचना स्थानान्तरण आदेश दिनांक 3.2.16	प्रदर्श क–17
18.	स्थानान्तरण आदेश	प्रदर्श क–18
19.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–19
20.	कार्यालय तहसीलदार कैन्ट दिल्ली का पत्र	प्रदर्श क–20
21.	तहसीलदार चौखुटिया का पत्र	प्रदर्श क–21
22.	आरोपपत्र	प्रदर्श क–22

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के उपरान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान लिखा गया। अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया। श्री पी0सी0तिवारी द्वारा इस बात का वर्णन अपने बयान, द0प्र0सं0 की धारा 313, के अंतर्गत किया गया कि उनके विरूद्ध यह एक झूठा मुकदमा संस्थित किया गया है। झूठे मुकदमे से उनकी ख्याति प्रभावित हुई है एवं उनको शारीरिक व मानसिक कष्ट भी हुआ है। जिन लोगों ने उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा दायर किया है, उनको दण्डित किया जाए। इस बात का वर्णन भी श्री पी0सी0तिवारी द्वारा किया गया कि उनको सामाजिक व आर्थिक हानि हुई है। इसी तरह का बयान श्रीमती रेखा धस्माना द्वारा अपने द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत दिये बयानों में दिया।

7. अभियुक्तगण को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्तगण द्वारा श्री देवी दत्त पाण्डे, तत्समय आदेशिका वाहक सिविल जज (सी0डि0) अल्मोड़ा को डी0डब्लू0 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में श्री देव दत्त पाण्डे का साक्ष्य शपथ पर खुले न्यायालय में लिखा गया। कुछ दस्तावेज भी अभियुक्तगण की तरफ से फेहरिस्त 24क के संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किये गये।

8. मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस विस्तार से सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामाग्री का परिशीलन किया।

9. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क न्यायालय के समक्ष रखा गया कि पी0डब्लू0 1 लगायत पी0डब्लू0 8 के बयान एवं दस्तावेजों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त श्री पी0सी0तिवारी द्वारा अपने साक्षियों को साथ लेकर वादी, जो कि एक अनुसूचित जाति का सदस्य है, के साथ उसे अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आशय से सार्वजनिक स्थल पर अपमानित किया एवं गाली गलौच कर उसे डुमड़ा, चमार, भंगी कहकर समाज की निगाह में नीचे गिराया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश की वजह से श्री पी0सी0तिवारी व उसके साथियों द्वारा हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी में घुसकर वादी व उसके सभी सदस्यों के साथ मारपीट की गई व गाली–गलौच की गई। यह भी तर्क विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा रखा या कि बिना अनुमति के अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा करने के उद्देश्य से हिमांशु एजुकेशनल सोसायटी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया। अभियोजन साक्षियों द्वारा ये समस्त तथ्य सिद्ध किये गये। अतः अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगे आरोपों से दण्डित किया जाना चाहिए।

10. दूसरी तरफ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क न्यायालय के समक्ष रखा गया कि पी0डब्लू0 1 से न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत लगाये गये आरोप निराधार हैं तथा उसे अभियोजनपक्ष सिद्ध करने में असफल रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि इस वाद के उलट

श्री पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना के साथ दिनांक 23–1–2016 को दिन के लगभग 2:30 बजे हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आई। श्री पी0सी0तिवारी द्वारा हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी के कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने के उपरांत यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर लिखाई गई। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का वर्णन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क भी रखा गया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा दिनांक 24–1–2016 को लिखाई गई जबकि उसकी प्राप्ति रा0उप0 निरीक्षक डीडा द्वारा दिनांक 23–1–2016 में ही दिखा दी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह भी कहा गया कि झूठी रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखाई गई तथा झूठा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दिया गया।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरांत यह उचित होगा कि सर्वप्रथम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर विचार किया जाए।

12. वादी द्वारा अपनी रिपोर्ट, प्रदर्श क–1, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–14, लिखाई गई, में इस बात का वर्णन किया गया कि श्री पी0सी0 तिवारी व एक महिला मौके पर ललित कुमार, श्याम कुमार, संदीप कुमार व प्रेम के साथ भिड़ गये। ललित कुमार को गाली गलौच करने लगे तथा मौके पर पड़ी लकड़ी से भी मारने पीटने शुरू कर दिया। रेखा धस्माना ने लात– घूसों से मारा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर ललित कुमार को गंदी–गंदी गालियॉ दी। ललित कुमार द्वारा दिनांक 24–1–2016 की प्रातः 11बजे द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत दिये अपने बयानों में इस बात का वर्णन किया गया कि ''मैं दिनांक 23–1–2016 को नैनीसार में हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी के निर्माण स्थल पर मौजूद था। स्थल पर कई मजूदर व सोसाइटी के कर्मचारी मौजूद थे..........दिन लगभग 2:30 बजे गेट पर एक कार उसमें से पी0सी0तिवारी जिनको मैं पहले से जानता था तथा एक पुरूष व एक अन्य मिला उतरी। उनके पीछे से करीब 10–12 लोग भी आ गए। एक व्यक्ति ने गेट पर अपने को कोर्ट का कर्मचारी होना बताया तथा नोटिस देने के लिए गेट खोलने को कहा। उसके

अन्दर आने के लिए गेट खोला तो उसके अंदर प्रवेश करते ही पीछे से जबरदस्ती पी0सी0तिवारी व उसके साथ आयी एक महिला जिसका नाम रेखा धस्माना है, 10–12 लोगों को लेकर मना करने पर भी अंदर घुस गये। अन्य लोगों को मैं नाम पते से नहीं जानता हूॅं। .... ये लोग अंदर घुसते ही वहॉ पर मौजूद हम लोगों को मॉ बहिन की गालियॉ देते हुए अपने साथ आये लोगों से कहने लगा कि मैं कोर्ट से इस सोसाइटी के निर्माण कार्य को तोड़ने का आदेश लेकर आया हूॅ। कोर्ट से आये कर्मचारी ने सोसाइटी के लोगों को नोटिस की प्रति दी। पी0सी0तिवारी अपने साथ आये लोगों से कहने लगा कि यहॉ पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों को काम मत करने दो व इन्हें यहॉ से भगाओ। ..... ये लोग तोड़–फोड़ करने लगे। हमसे मारपीट करने लगे। हमने मारपीट करने से रोका तो पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना ने आवेश में आकर हम लोगों से भिड़ गये तथा कहने लगे बाहरी राज्यों के आये तुम चमार व डुमड़े जाति लोगों को यहॉ आकर गुण्डागर्दी व तानाशाही कर रहे हो। तुम चमार डुमड़े लोगों को यहॉ से भगाकर ही छोड़गे। मैंने पी0सी0तिवारी व उसके साथियों से गाली गलौच देने से मना किया तो वहॉ पर पड़ी लकड़ी हम सभी लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया व रेखा धस्माना ने भी हम लोगों को लातघूसों से मारा तथा कहा कि तुम चमारो व डुमड़ो को हम नहीं छोड़गे। तुम्हे भगाकर रहेंगे। हमारे भागने पर इन लोगों ने हमारा पीछा गया तो पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना आपस में टकरा गये व दोनों गिर गये।''

13. न्यायालय के समक्ष श्री ललित कुमार द्वारा प्रस्तर 5 में यह साक्ष्य दिया कि–

''मैंने एक व्यक्ति, जो कोर्ट का आडर लिये था, के अंदर आने के लिए गेट खोला तो पी0सी0तिवारी व रेखा गेट को धक्का मारकर अंदर आये तथा मुझे जाति सूचक शब्द डुमड़े, चूड़े, चमार चहॉ पर आकर कैसे बस गये, इन्हें भगाओं कहकर मारना शुरू कर दिया। मुझे लात घूसों से मारा। मैंने अपनी रक्षा के लिए लोगों को आवाज दी तो संदीप व प्रेम आये। उनके आने पर पी0सी0 तिवारी ने मेरे दाहिने हाथ में कलाई के पास डंडे से मारा।''

14. अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत लगे आरोप पर पी0डब्लू0 1 द्वारा दिये गये साक्ष्य की पुष्टि करने हेतु पी0डब्लू0 2 द्वारा शपथ पर खुले न्यायालय में यह

साक्ष्य दिया गया कि जैसे ही कोर्ट कर्मचारी को अंदर लाने के लिए गेट खोला तो श्री पी0सी0तिवारी जी ने हमें धक्का मारा तथा अंदर आ गये। अन्दर आकर गाली गलौच डुमड़ा, डुंगर, चूड़ा–चमार कहने लगे। इसी दौरान 10–12 लोग भी अंदर घुस आये जिन्हें मैं नहीं जानता। इनमें कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

15. इसी तरह का साक्ष्य पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार द्वारा शपथ पर दिये बयानों में प्रस्तर सं0 4 पर दिया कि जैसे ही कोर्ट के व्यक्ति को गेट के अंदर करने लगे तो श्री पी0सी0तिवारी व 10–12 अन्य व्यक्तियों ने गेट को धक्का मारा तथा गाली गलौच करने लगे एवं ललित के लकड़ी उठाकर मारा। ललित कुमार व श्याम कुमार को डुमड़े, चमार, चूड़े कहकर गाली दी। श्री प्रेम राज जो कि मौके का चक्षुदर्शी साक्षी है द्वारा इस आरोप पर कोई साक्ष्य नहीं दिया। श्री श्याम कुमार पी0डब्लू0 2 व पी0डब्लू0 3 द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 161 के बयानों में भी चूड़ा चमार, डुमड़ा गाली गलौच करने की बात कही। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण को दण्डित करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का सदस्य होने के नाते किसी सार्वजनिक स्थल पर लोकमत में वादी को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आशय से अपमानित किया गया हो। यदि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आशय के अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा अपमानित किया गया हो तो अभियुक्तगण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता। इस निष्कर्ष पर पहॅुचने के लिए न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी ललित कुमार से कुछ प्रश्न पूछे गये जिन्हें ज्यों का त्यों लिखना मैं उचित पाता हूॅ।

प्रश्न– जो पहले तीन व्यक्ति आये उनको कितने दिन से जानते थे?

उत्तर–मैं पी0सी0तिवारी जी को अच्छी तरह जानता था क्योंकि वे रैली निकालते थे। बॉकि को मैं नहीं जानता था। उसी दिन देखा।

प्रश्न–आप पी0सी0तिवारी को धरने पर बैठने के कारण जानते थे या उनसे आपकी व्यक्तिगत वार्ता भी होती थी?

उत्तर–श्री पी0सी0तिवारी रैलियॉ निकालते थे। मैं इसी कारण उन्हें जानता था। उनसे मेरी व्यक्तिगत वार्ता नहीं होती थी।

प्रश्न–आपके घटना के दिन गेट पर विवाद से पहले क्या पी0सी0तिवारी से आपकी किसी तरह की कोई वार्ता हुई?

उत्तर–जी नहीं।

प्रश्न–क्या पी0सी0तिवारी जी ने आपके किसी पारिवारिक सदस्य से कभी मुलाकात की हो या वार्ता की हो?

उत्तर–जी नहीं।

प्रश्न– जैसे ही पी0सी0तिवारी गेट के अंदर घूसे उन्होंने आपका डुमड़ा, सुमड़ा, भंगी, चमार कहकर मारना शुरू कर दिया?

उत्तर– जी हॉ।

प्रश्न–घटना से पूर्व आपकी हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी में नियुक्ति व काम करने के संबंध में पी0सी0तिवारी ने कोई पंजिका या दस्तावेज देखा?

उत्तर–जी नहीं।

प्रश्न–कृपया स्पष्ट कीजिए कि फिर गेट के अंदर घूसते ही उन्होंने आपको डूमड़ा, सूमड़ा, भंगी, चमार कहकर मारना शुरू क्यों कर दिया?

उत्तर–गेट के अंदर आते ही इन्होंने मुझे डुमड़ा, सुमड़ा, भंगी, चमार कहकर मारना शुरू कर दिया।

प्रश्न–क्या पी0सी0तिवारी को पहले पता था कि आप अनुसूचित जाति के सदस्य है?

उत्तर–जी नहीं।

16. वादी द्वारा अपने, प्रार्थनापत्र, प्रदर्श क–1, में इस बात का वर्णन नहीं किया गया कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का वर्णन किया कि उसे जातिसूचक शब्दों से गालियॉ दी, किन्तु वह किसी जाति का है, इसका कोई वर्णन नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ जाति प्रमाणपत्र की प्रति भी नहीं लगाई। अपने द0प्र0सं0 की धारा 161 के दिये बयानों में वादी द्वारा बढोत्तरी कर उस शब्दावली का वर्णन किया जिसे वह मौके पर अभियुक्त पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना द्वारा कहा जाना कह रहा है। किन्तु न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये बयानों में पी0डब्लू0 1 द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि श्री पी0सी0तिवारी को घटना से पहले यह नहीं पता था कि

वादी ललित कुमार अनुसूचित जाति का सदस्य है। न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि श्री पी0सी0तिवारी को यह अवसर भी प्राप्त नहीं था कि वह घटना से पूर्व यह जानकारी रख सके कि वादी ललित कुमार अनुसूचित जाति का सदस्य है। इसी तरह का साक्ष्य पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार द्वारा भी दिया गया है। श्याम कुमार द्वारा यह कहा गया कि पी0सी0तिवारी ने गेट के अंदर आते ही गाली गलौच की तथा डुमड़ा, डुंगर, चूड़ा चमार कहा। श्याम कुमार द्वारा अपने साक्ष्य में यह वर्णित नहीं किया गया कि इस तरह की गालियॉ पी0सी0तिवारी ने किसको दी। द0प्र0सं0 की धारा 161 के बयानों में भी वादी ललित कुमार व श्याम कुमार द्वारा यह वर्णित नहीं किया कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अतः उपरोक्त वर्णित साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि श्री पी0सी0तिवारी व अन्य अभियुक्तगण को घटना के समय वादी ललित कुमार व पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार की न तो जाति का ज्ञान था न ही उन्हें अवसर प्राप्त था कि उन्हें सूचना हो सके कि ललित कुमार व श्याम कुमार अनुसूचित जाति के सदस्य थे। यदि अभियुक्तगण को वादी की जाति का ज्ञान ही नहीं था तो वह वादी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आशय से उनको अपमानित कैसे कर सकते हैं? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वादी को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा लोकमत में सार्वजनिक स्थल पर अपमानित किया गया हो। घटनास्थल एक सार्वजनिक स्थल था। वहॉ बहुत से व्यक्ति भी मौजूद थे। किन्तु पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना को न तो यह ज्ञान था, न ही उन्हें जानकारी का अवसर प्राप्त था, कि वादी ललित कुमार एवं श्याम कुमार पी0डब्लू0 2 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध विधि को गतिमान नहीं किया जा सकता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 147, 323, 447 व 504 के अन्तर्गत भी आरोपित किया गया है। अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा हिमांशु एजुकेशनल सोसायटी के गेट से जबरदस्ती बिना अनुमति अंदर घुसकर

पी0डब्लू0 1 वादी, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज के साथ मारपीट व गाली गलौच की। इस पर अभियुक्तगण द्वारा यह कहा गया कि उन्हें हिमांशु एजुकेशनल सोसायटी के व्यक्तियों द्वारा गेट से जबरदस्ती अंदर खींचा गया एवं उनके साथ मारपीट की गई।

18. अभियुक्तगण द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि उनके द्वारा इस मारपीट को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। वादी पी0डब्लू0 1 ललित कुमार द्वारा शपथ पर दिये बयानों में इस बात का वर्णन किया गया कि जैसे ही कोर्ट के व्यक्ति को अंदर लाने के लिए गेट खोला तो पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना गेट को धक्का मारकर अंदर आये ....तथा इन्होंने लाठी डंडे व लातघूसों से मारा। इसी बात का वर्णन पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, जो कि मौके का चक्षुदर्शी साक्षी है, द्वारा भी किया गया है। संदीप कुमार, पी0डब्लू0 3, द्वारा भी यही साक्ष्य दिया गया तथा पी0डब्लू0 4, प्रेम राज द्वारा भी वादी के इस साक्ष्य की पुष्टि करने का प्रयास किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि मौके पर उपस्थित चारों चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष है तथा ये चारों चक्षुदर्शी साक्षी है जिन्होंने घटना में घायल होने का साक्ष्य भी दिया है। किसी साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***वैदी वल्लू थेवर बनाम मद्रास राज्य ए0आई0आर0 1957 स0न्या0 614*** के वाद में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षियों के साक्ष्य की ग्राह्यता के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी के साक्षी वे होंगे जिनका साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। द्वितीय श्रेणी के साक्षी वो होंगे जिनके साक्ष्य पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है। तृतीय श्रेणी के साक्षी वो होंगे जिनका साक्ष्य आंशिक रूप से विश्वसनीय तथा आंशिक रूप से अविश्वसनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह मत भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय है तो चाहे वह एकल साक्षी ही क्यों न हो, उसके सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना ही, न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए निर्णय पारित किया जा सकता है। इसी तरह यदि किसी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से अविश्वसनीय हो तो उस पर भी न्यायालय को निर्णय पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या केवल वहॉ पर है, जहॉ पर किसी साक्षी का साक्ष्य आंशिक रूप से विश्वसनीय हो तथा आंशिक रूप से

अविश्वसनीय हो। वहॉ पर उस साक्षी के साक्ष्य की सम्पुष्टि हेतु स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य होना चाहिए।

19. अब इस वाद में यह देखना है कि अभियोजनपक्ष द्वारा जो साक्षी पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, उनका साक्ष्य विश्वसनीय है; अविश्वसनीय है; या आंशिक विश्वसनीय व आंशिक अविश्वसनीय है। समस्त साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर निष्कर्ष निकाला जायेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने जाने के संबंध में पी0डब्लू0 1, ललित कुमार द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि–

> ''घटना लगभग 2:30 बजे दिन की है। फिर धमेन्द्र से घटना की रिपोर्ट लिखाई। मैंने बोला उसने लिखा। फिर उसने मुझे पढ़कर सुनाया। फिर मैंने उस पर हस्ताक्षर किये। मेरे हाथ में चोट लगी थी, इस कारण मैं रिपोर्ट नहीं लिख पाया।''

20. अपने साक्ष्य के प्रस्तर 29 में इस बात का वर्णन वादी ललित कुमार, पी0डब्लू0 1, द्वारा किया गया कि पटवारी के कार्यालय में हम पॉच लोग रिपोर्ट लिखाने गये थे। दिनांक 23–1–2016 को शाम को करीब 8:30 बजे रानीखेत गये थे। रिपोर्ट पटवारी के कार्यालय पहुॅचने पर ही लिखी गयी। इसके विरूद्ध पटवारी श्री महेन्द्र सिंह रावत, पी0डब्लू0 6, द्वारा यह साक्ष्य शपथ पर न्यायालय के समक्ष दिया गया कि उसके पहुॅचने से पहले मामला शांत हो चुका था। इसके बाद उसे एक रिपोर्ट हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी के कर्मचारी ललित कुमार से लगभग 4:30 बजे मिली। ....वहॉ पर एफ0आई0आर0 दर्ज करना सम्भव नहीं था। मैंने एक प्रति प्राप्त कर ललित कुमार को दे दी थी। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए महेन्द्र सिंह रावत द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि श्री पी0सी0तिवारी ने भी उनको एफ0आई0आर0 दी थी तथा श्री पी0सी0 तिवारी के प्रार्थनापत्र पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। श्री महेन्द्र सिंह रावत पी0डब्लू0 6 द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि दूसरे दिन दिनांक 24–1–2016 को ललित कुमार द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक काटी गई।

21. अभियुक्त पी0सी0तिवारी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 23–1–2016 को शाम 5:15 बजे जिंदल कम्पनी के कर्मचारियों के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 504, 506, 392,

120 बी के अंतर्गत दर्ज की गयी। पी0डब्लू0 6, महेन्द्र सिंह रावत, को अभियुक्त पी0सी0तिवारी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर दिनांक 23.1.2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अवसर प्राप्त था जबकि पी0डब्लू0 1 ललित कुमार द्वारा दिनांक 23.1.2016 को शाम करीब 4:30 बजे प्राप्त प्रार्थनापत्र पर पी0डब्लू0 6, मेहन्द्र सिंह रावत के पास कोई समान या अवसर चिक काटने का नहीं था। पी0डब्लू0 1 द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा 8:30 बजे पटवारी कार्यालय में जाकर पी0डब्लू0 6, महेन्द्र सिंह रावतपटवारी को रिपोर्ट दी गई जबकि पी0डब्ल्लू0 6, महेन्द्र सिंह रावत द्वारा यह कहा गया कि रिपोर्ट उसने घटना स्थल पर ही लगभग 4:30 बजे प्राप्त कर ली थी। पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार जो कि अपने को मौके का चक्षुदर्शी साक्षी होना कह रहा है, के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने पर अपने साक्ष्य के प्रस्तर–2 में इस बात का वर्णन किया गया कि

''घटना के बाद हम सब लोग ऊपर कमरे में चले गये। घटना की रिपोर्ट हमने दि0 23–1–2016 को लगभग 4–5 बजे कराई।''

22. प्रस्तर 17 में पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार द्वारा इस बात का वर्णन किया गया कि–

> ''घटना की रिपोर्ट दिनांक 23–1–2016 को रानीखेत में लिखाई। समय मुझे याद नहीं है। बाद में कहा कि 4 और 5 बजे की बीच रिपोर्ट लिखाई। उस समय मेरे साथ संदीप कुमार, प्रेम राज, ललित कुमार व धमेन्द्र मौजूद थे।''

23. इसी तरह संदीप कुमार, पी0डब्लू0 3 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, के साक्ष्य का परिशीलन किया जाय तो अपने साक्ष्य के प्रस्तर–6 में इस बात का वर्णन किया कि–

> ''घटना की रिपोर्ट दिनांक 23–1–2016 को शाम के 4:30 बजे रानीखेत पटवारी के कार्यालय में दी। रिपोर्ट लिखवाकर हम वापस आ गये थे।''

24. अपनी प्रतिपरीक्षा के प्रस्तर 18, 19 व 20 में इस बात का वर्णन पी0डब्लू0 3 द्वारा किया गया कि–

> ''रिपोर्ट हमने हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी में ही अपने कमरे में लिखी। इसके बाद हम रिपोर्ट लेकर पटवारी के पास मजखाली गये। स्वतः कहा कि उसके बाद रानीखेत गये।''

25. श्री प्रेम राज, पी0डब्लू0 4 द्वारा यह साक्ष्य अपने साक्ष्य के प्रस्तर 5 में दिया गया कि–

> ''रानीखेत में ललित कुमार रींकू उर्फ श्याम व संदीप गये थे। वहॉ पर हमने रिपोर्ट धमेन्द्र से लिखवायी। उस समय धमेन्द्र रानीखेत था जो सामान लेने गया था।''

26. इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के प्रस्तर 9, 10 व 11 में इस बात का वर्णन किया कि

> ''धमेन्द्र हमें रानीखेत अस्पातल में मेडिकल कराते समय मिला। हम नैनीसार से अस्पताल मेडिकल कराने गये, वही धमेन्द्र मिला। धमेन्द्र अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं करा रहा था। चिकित्सीय परीक्षण मैं करा रहा था। स्वतः कहा कि चिकित्सीय परीक्षण, ललित, श्याम व संदीप का भी हुआ।
>
> रिपोर्ट वहॉ पर लिखी गयी, जहॉ पटवारी थे। पटवारी के कार्यालय के चढ़ान पर धमेन्द्र मिला था। हमने उसे मिलने के लिए फोन किया था। रिपोर्ट धमेन्द्र ने पटवारीजी के सामने ही लिखी थी।
>
> रिपोर्ट लिखने के बाद अस्पताल आये। हम चारों लोग अस्पताल एक आधा घंटा रहे। उसके बाद हम पटवारी से नहीं मिले, हम घर आ गये।''

27. इससे स्पष्ट होता है कि इन चारों साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने पर भिन्न–भिन्न साक्ष्य दिया है। पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार का साक्ष्य इस विषय पर विश्वसनीय है ही नहीं तथा वह रिपोर्ट लिखाये जाने के समय व तरीके पर गहन प्रश्नचिन्ह लगाता है। पी0डब्लू0 4 प्रेम राज द्वारा अपने साक्ष्य के प्रस्तर 9 व 10 में इस बात का वर्णन किया गया कि जब वह रानीखेत में अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने गया था, उस समय रिपोर्ट धमेन्द्र ने रानीखेत में पटवारीजी के कार्यालय में लिखी। यदि पी0डब्लू0 4, प्रेम राज के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24–1–2016 की शाम को लिखी गई जबकि पी0डब्लू0 1 वादी द्वारा रिपोर्ट को दिनांक 23.1.2016 की रात्रि 8:30 बजे रानीखेत पटवारी कार्यालय में लिखना बताया। पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार व पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रानीखेत में पटवारी के कार्यालय में लगभग 4 बजे से 4:30 बजे लिखा जाना बताया जबकि पटवारी पी0डब्लू0 6 द्वारा यह कहा गया कि वह 4:30 बजे घटनास्थल पर मौजूद था एवं

उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट मौके पर ही ललित कुमार ने दिनांक 23.1.2016 को 4:30 बजे दे दी थी। पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपने साक्ष्य के प्रस्तर 18 में इस बात से इंकार किया कि रिपोर्ट उसे ललित कुमार द्वारा मुख्यालय पर दी गई हो। पी0डब्लू0 6 द्वारा यह स्पष्ट वर्णित किया गया कि यह कहना गलत है कि ललित कुमार को प्राप्ति मैंने अपने मुख्यालय पर दी हो। पी0डब्लू0 4, प्रेम राज द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराते समय रिपोर्ट लिखना कहा। चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 24.1.2016 की सॉय 5:30 बजे हुआ। अतः बतौर पी0डब्लू0 4, प्रेम राज, रिपोर्ट दिनांक 24.1.2016 की सॉय को लिखी गई।

28. आश्चर्य का विषय है कि एक ही घटना के संबंध में दो विवेचनाधिकारी भिन्न–भिन्न साक्ष्य देते हैं। सीबीसीआईडी के विवेचनाधिकारी, पी0डब्लू0 8, पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द नबियाल, द्वारा पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत के द0प्र0सं0 की धारा 161 के बयानों में यह वर्णित किया कि ललित कुमार ने लिखित तहरीर घटनास्थल पर दी थी एवं उसकी प्राप्ति अपने कार्यालय में जब ये लोग आये तब दी थी। किन्तु पी0डब्लू0 6 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये अपने साक्ष्य के प्रस्तर 19 में इस बात का वर्णन किया कि–

> ''मैंने सीबीसीआईडी को बयान नहीं दिया कि–ललित कुमार ने तहरीर घटनास्थल पर दी थी। किन्तु मैंने उन्हें प्राप्ति अपने कार्यालय में जब ये लोग आये तब दी थी।''

29. दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि दो विवेचनाधिकारी की मनोवृत्ति घटना के संबंध में भिन्न–भिन्न है। दोनों विवेचनाधिकरियों में से एक व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। या तो सीबीसीआईडी के विवेचनाधिकारी पी0डब्लू0 8 द्वारा अपने मन से पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिह का बयान लिखा गया या महेन्द्र सिंह रावत न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों में से एक तथ्य अवश्य सही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि पी0डब्लू0 6 द्वारा अभियुक्त पी0सी0तिवारी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर तो चिक काटी गई, किन्तु दिनांक 23.1.2016 को पी0सी0तिवारी से पूर्व वादी ललित कुमार द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर चिक नहीं काटी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पी0डब्लू0 6 के पास दिनांक 23.1.2016 को कोई रिपोर्ट पी0डब्लू0 1 वादी द्वारा प्राप्त नहीं कराई गयी अन्यथा जैसे उन्होंने अभियुक्त पी0सी0तिवारी के प्रार्थनापत्र पर चिक काटी उसी तरह वादी ललित कुमार के प्रार्थनापत्र पर भी चिक अवश्य काटते। पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत द्वारा चिक

का समय दिनांक 24.1.2016 करे शाम 2:16 बजे कहा है तथा इससे पूर्व ही वह अभियुक्तगण को एक अन्य वाद में हिरासत में ले चुके थे। आखिर क्या कारण था कि पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिह रावत द्वारा उन्हें पी0डब्लू0 1 वादी की रिपोर्ट दिनांक 23.1.2016 को 4:30 बजे प्राप्त हो जाने के उपरांत दिनांक 24.1.2016 को 2:16 बजे दिन में चिक काटी। इससे पी0डब्लू0 4 द्वारा जो साक्ष्य अपने साक्ष्य के प्रस्तर 9, 10 व 11 में दिया है, की पुष्टि होती है कि वादी ललित कुमार द्वारा उस दिन प्रार्थनापत्र दिया गया जिस दिन पी0डब्लू0 4 तथा अन्य तथाकथित चुटैलों का मेडिकल हो रहा था। इसी बात का वर्णन पी0डब्लू0 4 द्वारा अपने साक्ष्य के प्रस्तर 9, 10 व 11 में किया गया कि रिपोर्ट करने के बाद वे अस्पताल गये। इससे स्पष्ट है कि जिस तरह घटनाक्रम अभियोजन साक्षीगण द्वारा कहा गया है तथा अभियोजन जैसे घटना के घटित होने को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें गम्भीर संदेह पैदा होता है।

30. न्यायालय द्वारा पी0डब्लू0 5 डा0 संदीप कुमार दीक्षित के साक्ष्य पर भी आश्चर्य जाहिर किया गया है। आश्चर्य है कि डा0 संदीप कुमार द्वारा दर्द कि शिकायत की अवधि का वर्णन किया। न्यायालय द्वारा जब पूछा गया कि आप किस चिकित्सीय पद्धति के अनुसार दर्द की शिकायत की अवधि बता सकते हैं, जबकि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, तब चिकित्सक द्वारा बताया गया कि यह चुटैल के बताने पर ही लिखा है। डा0 संदीप कुमार पी0डब्लू0 5 द्वारा पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 24.1.2016 को किया गया। चिकित्सीय आख्याओं के परिशीलन से स्पष्ट है कि इन पर चिकित्सीय परीक्षण का समय 5:40 बजे शाम लिखा है अर्थात वादी ललित कुमार पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 5 प्रेम राज का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 24—1—2016 की शाम 5:30 बजे हुआ। यदि पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत के साक्ष्य पर विश्वास किया जाय कि उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.1.2016 की शाम 4:30 बजे प्राप्त हो गयी थी तो क्या कारण था कि इन सभी चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण 24.1.2016 की शाम 5:30 बजे हुआ? इस तथ्य पर सभी अभियोजन साक्षियों द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि वह डर गये थे। इस कारण चिकित्सीय परीक्षण पटवारीजी के कहने के बावजूद भी दिनांक 23.1.2016 को नहीं कराया। वादी ललित कुमार से ही न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछा गया

कि जब चोट दिनांक 23.1.2016 को इस प्रकृति की थी कि आप हाथ में आई चोट के कारण लिख भी नहीं पाये तो चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 24.1.2016 को क्यों कराया। इस प्रश्न पर वादी ललित कुमार ने उत्तर दिया कि मैं इतना घबरा गया था कि मुझे मार न दे। इसलिए मैं वहॉ से बाहर नहीं निकला। पी0डब्लू0 3 द्वारा भी यही साक्ष्य दिया गया कि हम डर गये थे। इस कारण दिनांक 23.1.2016 को चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया। पी0डब्लू0 3 द्वारा यह भी कहा गया कि श्री पी0सी0तिवारी, रेखा धस्माना व अन्य लोगों को 23.1.2016 को ही मौके से ही गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पी0डब्लू0 4 से पूछा गया कि—

प्रश्न—क्या पी0सी0तिवारी व अन्य व्यक्ति आपके रानीखेत जाने से पहले ही पुलिस हिरासत में आ गये थे?

उत्तर—जी हॉ।

प्रश्न—जब पी0सी0तिवारी व अन्य व्यक्ति पुलिस के हिरासत में आये गये थे तो आपका डर समाप्त हो गया था या नहीं?

उत्तर—जी हॉ। डर समाप्त हो गया था, किन्तु हम रूम से ही नहीं निकले।

31. पी0डब्लू0 1, 2, 3 व 4 के इस तथ्य पर साक्ष्य का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि यदि डर होता तो वह दिनांक 23.1.2016 को रिपोर्ट कराने पटवारी के कार्यालय जाना अभिकथित नहीं करते। वे रानीखेत भी गये अन्य जगह भी गये, किन्तु उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया। इससे स्पष्ट होता है कि वादी की रिपोर्ट व चिकित्सीय परीक्षण सभी कार्यवाही दिनांक 24.1.2016 को किसी विशेष आशय की प्रतिपूर्ति हेतु हुई।

32. वादी ललित कुमार द्वारा यह कहा गया कि उसके दाहिने हाथ की कलाई पर पी0सी0तिवारी ने डंडे से चोट मारी। पी0डब्लू0 5 डा0 संदीप कुमार दीक्षित द्वारा ललित कुमार को केवल दो चोट आना वर्णित किया है। ललित कुमार को पहली चोट दाहिनी छाती पर छूने से पीड़ित दर्द महसूस कर रहा था जबकि चोट का कोई निशान नहीं था तथा दूसरी चोट दाहिने कंधे के जोड़ चलाने पर पीड़ित को हल्की सी परेशानी महसूस हो रही थी। चिकित्सक द्वारा यह लिखा गया कि ये चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा किसी कुन्द वस्तु से आनी सम्भव थी। ललित कुमार के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। ललित कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये साक्ष्य में इस बात का वर्णन किया गया कि उसके दाहिने

हाथ की कलाई में चोट मारी जिसकी वजह से वह प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिख पाया जबकि चिकित्सक द्वारा उसके दाहिनी हाथ की कलाई में कोई चोट नहीं पाई गई। यहॉ तक कि उसके पूरे शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई।

33. इसी तरह अन्य चुटैल क्रमश पी0डब्लू0 2, पी0डब्लू0 3 व पी0डब्लू0 4 के शरीर पर इसी तरह की चोटे आना चिकित्सक द्वारा वर्णित किया गया। पी0डब्लू0 5 द्वारा यह भी कहा गया कि ललित कुमार को आई चोटें चिकित्सीय परीक्षण से 4 घंटा पुरानी हो सकती है। प्रतिपरीक्षा में इस बात का वर्णन भी पी0डब्लू0 5 द्वारा किया गया कि ललित कुमार को चोट दिनांक 24.1.2016 को डेढ से दो बजे आनी सम्भव थी जबकि घटना दिनांक 23.1.2016 को 2:30 बजे घटित हुई है। इस तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग करने, चोट के सम्बंध में चिकित्सक द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने से सिद्ध होता है कि जिस तरह अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है, उससे संदेह पैदा होता है तथा इस संदेह का लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए।

34. पी0डब्लू0 6 द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 23.1.2016 को अभियुक्तगण को मौके पर ही द0प्रसं0 की धारा 107/116 के अन्तर्गत न्यायिक हिरासत में लिया गया था। अभियुक्तगण ने मुकदमा अपराध सं0 2/2016 में धारा 107/116 /151 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.1.2016 के विरूद्ध सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र योजित किया गया। उन समस्त कार्यवाहियों को सत्र न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं0 16/2016 पी0सी0तिवारी प्रति राज्य सरकारी में पारित निर्णय दिनांकि 11.8.2016 के पृष्ठ सं0 9 प्रस्तर 16 में कार्यपालक मैजिस्ट्रेट की समस्त कार्यवाहियों को मनमानी व विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करना कहा गया। प्रस्तर–16 में इस न्यायालय द्वारा इस बात का वर्णन किया गया कि–

"(O)der dated 24-1-2016 and this order was passed utterly in arbitrary manner and misusing the administrative and legal powers by Ld. Executive Magistrate."

35. इस आदेश के अंत में भी सेशन न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा यही विचार व्यक्त किया गया कि कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा इस वाद में अपने विधिक

शक्तियों का दुरूपयोग कर मामले की ढंग से कार्यवाही नहीं की गई। दोनों वाद एक ही घटना से संबंधित होने के कारण इस वाद में सत्यता पर पहुॅचने के लिए उक्त वाद का संदर्भ इस वाद में करना विधि संगत है।

36. अभियुक्त का बी वारंट जिस तरीके से लिया गया उस पर भी यह न्यायालय यह कहना उचित समझती है कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा भी तकनीकी रूप से अभियुक्तगण के विरूद्ध बी वारन्ट जारी किया गया। अभियुक्तगण को मुकदमा अपराध संख्या 2/ 2016 में द0प्र0सं0 की धारा 107/16/151 के अन्तर्गत दिनांक 23.1.2016 को ही निरूद्ध कर लिया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 25.1.2016 को इस वाद में बी वारंट प्राप्त कराया गया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वादी का जाति प्रमाणपत्र पत्रावलित नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह वर्णित नहीं था कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य था। वादी के द0प्र0सं0 की धारा 161 के बयानों में भी यह वर्णित नहीं है वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। केवल यही सामाग्री न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत के समक्ष उपलब्ध थी जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा रा0उप0 निरीक्षक महेन्द्र सिंह रावत पी0डब्लू0 6, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना करने के लिए सक्षम ही नहीं थे, की विवेचना के आधार पर बी वारन्ट जारी कर दिया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत विवेचना एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा सकती है। बी वारन्ट प्राप्त करने की अधिकारिता विवेचना में आती है तथा पी0डब्लू0 6 इस प्रकरण में विवेचना करने के लिए सक्षम ही नहीं थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा इन तथ्यों को देखे बिना ही कि वादी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने का साक्ष्य पत्रावली पर है अथवा नहीं तथा बी वारंट एक सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है, या नहीं बी वारन्ट जारी किया गया जो एक विधिक अनियमितता थी।

37. अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में श्री देवी दत्त पाण्डे का साक्ष्य अंकित कराया गया श्री देवी दत्त पाण्डे द्वारा खुले न्यायालय में यह साक्ष्य दिया गया कि अभियुक्तगण को गेट के अंदर खींचकर उनके साथ मारपीट की गई। यह सही है कि डी0डब्लू0 1 देवी दत्त पाण्डे द्वारा दिया साक्ष्य उनके द्वारा सिविल न्यायालय (सी0डी0) के न्यायालय को दी गई आख्या से मेल नहीं खाता है

किन्तु उस आख्या के परिशीलन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि पी0सी0तिवारी रेखा धस्माना व अन्य लोग जबरदस्ती गेट के अंदर घूसे हो। श्री पी0सी0तिवारी को घटना के समय चोट आई है। यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है। पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया कि श्री पी0सी0तिवारी को चोट नहीं थी। इन चोटों पर उनके द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि विवाद के समय रेखा धस्माना व श्री पी0सी0तिवारी आपस में टकरा गये एवं गिर गये। चोट का वर्णन पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज ने नहीं किया बल्कि उनके टकरा कर गिरने का वर्णन किया। एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, परिस्थितियॉ नहीं। पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज के साक्ष्य में श्री पी0सी0तिवारी व रेखा धस्माना के टकराकर गिर जाने का तात्पर्य ही यह है कि उनको आई चोटों को ये अभियोजन साक्षीगण उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं।

38. पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपने साक्ष्य में इस बात का वर्णन किया गया कि पी0सी0तिवारी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी थी। पी0डब्लू0 1ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 ललित कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज का चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व ही पी0सी0तिवारी का चिकित्सीय परीक्षण हो चुका था। वह आख्या पटवारी को दिनांक 23.1.2016 को ही प्राप्त हो गई थी। अपने साक्ष्य के प्रस्तर 29 में पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिह रावत द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि श्री पी0सी0 तिवारी द्वारा एक तहरीर मुझे सौपी गई थी, उसके आधार पर प्रसंज्ञेय अपराध बन रहा था। श्री पी0सी0तिवारी द्वारा अपनी चिकित्सीय आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत द्वारा इस आख्या को स्वीकार किया गया है। इस आख्या में श्री पी0सी0तिवारी को बहुत सारी चोटें आना अभिवर्णित है। यहॉ तक की दाहिनी ऑख चारो ओर से कालापन लिये होना भी आख्या में वर्णित है। शरीर के अन्य भागों पर सूजन व चोट के निशान भी वर्णित है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री पी0सी0तिवारी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में

होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए उस रिपोर्ट के बाद यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए लिखाई गयी। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज द्वारा कराई गई चिकित्सीय परीक्षण आख्याओं में परीक्षण का समय दिनांक 24.1.2016 शाम 5:30 बजे लिखा है। जबकि श्री पी0सी0तिवारी को आई चोटों की आख्या पी0डब्लू0 6 महेन्द्र सिंह रावत को दिनांक 23.1.2016 को ही प्राप्त हो गयी थी।

39. उपरोक्त विवेचना में आये तथ्य कि अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र के तथ्य पर अत्यंत विरोधाभासी साक्ष्य दिया है, चिकित्सीय परीक्षण को भी न्यायालय द्वारा एक विशेष प्रयोजन से कराया जाना माना है। इससे स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू0 1 ललित कुमार, पी0डब्लू0 2 श्याम कुमार, पी0डब्लू0 3 संदीप कुमार व पी0डब्लू0 4 प्रेम राज का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह भी मत अभिव्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए, इस अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई, जबकि उसने स्वंय माना है कि श्री पी0सी0तिवारी को उसकी जाति का ज्ञान घटना के दिन नहीं था न ही उसने अपने जाति का वर्णन घटनास्थल पर किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाक्रम को जिस तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे अभियोजन साक्षीगण संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 323, 147, 447 व 504 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

40. यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजनपक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 147,447 व 504 के अन्तर्गत लगे आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः इन

परिस्थितियों में भा0दं0सं0 की धारा 323, 147,447 व 504 के अव्ययों का वर्णन करना उचित नहीं है।

<u>आदेश</u>

इस निर्णय में बताये गये कारणों के आधार पर अभियुक्तगण श्री पी0सी0तिवारी, श्रीमती रेखा धस्माना, बिशन सिंह, गोपाल सिंह, दीवान सिह, लक्ष्मण सिंह व राजेन्द्र सिंह को भा0दं0सं0 की धारा 323, 147, 447 व 504 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उन्हें आत्मसर्पण की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा 437 ए के अन्तर्गत 25,000/–रू0 का एक निजी बंधपत्र व इसी धनराशि का दो–दो जमानती दाखिल करना सुनिश्चित करें।

यदि राज्य सरकार इस निर्णय से संतुष्ट नही है तो उसे माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

दिनांक–18–7–2018

(डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
अल्मोड़ा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–18–7–2018

(डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
अल्मोड़ा।